अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3453(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 6 अगस्त, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2033(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "द बनयान, छठी मेन रोड, मोगापेयर, एरई स्कीम, मोगापेयर वेस्ट, चैन्नई-600037" द्वारा "बनयान हेतु कार्पस तथा आवर्ती निधि" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 6 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 630(अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 6 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाये जाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "द बनयान, छठी मेन रोड, मोगापेयर, एरई स्कीम, मोगापेयर वेस्ट, चैन्नई-600037" द्वारा चलायी जा रही "बनयान हेतु कार्पस तथा आवर्ती निधि" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-2017 और 2017-18 के लिए कार्पस हेतु 9.5 करोड़ तथा आवर्ती हेतु 6 करोड़ रूपये की अनुमोदित लागत मे कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 279/2015/फा. सं. वी -27015/4/2015 एस ओ (एन.सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

approved cost of Rs. 9.5 crore for corpus & Rs.6.00 crore for recurring, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 279/2015 / F. No. V. 27015/4/2015-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)